पावर कार्पोरेशन लिमिटेड

यू0 पी0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001 फोन–0522–2287816 फैक्स–0522–2287816
Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow - 226 001

संख्या – 63/भान सेल/13/96(120) दिनांक : 16 जून, 2012

कार्यालय ज्ञाप

निविदा के कतिपय प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न धरोहर धनराशि (Earnest money) वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं जमा की जा रही है। अतएव प्रकरण में एकरूपता के दृष्टिकोण से निम्नलिखित आदेशित किया जाता है:–

1. धरोहर धनराशि निविदा के सम्भावित मूल्य/आंकलित मूल्य के 1/2 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के मध्य निश्चित धनराशि (Fixed amount) के रूप में रू0 500/– के गुणक में रखी जाय। प्रतिभूति की न्यूनतम धनराशि रू0 500/– होगी।
2. यह धनराशि बैंकर्स चेक/एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0/एन0एस0सी0/बैंक गारंटी/अन्य कोई मान्यता प्राप्त डिपाजिट शिड्यूल्ड बैंक/डाकघर के माध्यम से रखी जाय।
   किसी भी दशा में नकद अथवा चेक द्वारा उक्त धनराशि स्वीकार्य नहीं होगी।
3. प्रतिभूति धनराशि निम्नानुसार तैयार करायी जाय:–
   अ) बैंक गारंटी के रूप में निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अन्तर्गत जो न्यूनतम छः माह के लिये वैध हो तथा तीन माह का अतिरिक्त क्लेम पीरियड प्राविधानित हो, में की निविदा संख्या अंकित करते हुये संदर्भित खण्डों/कार्यालय के पक्ष में जारी की गयी हो।
   ब) बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर सम्बन्धित खण्ड/सम्बन्धित कार्यालय के पक्ष में देय हो तथा उन्हें निविदा खोलने के अगले दिन ही बैंक में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।
4. निविदा की संस्तुतियों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि सभी निविदाकारों की धरोहर धनराशि निर्धारित उचित दर पर उचित समय एवं उचित स्वरूप में प्राप्त हुयी है।
5. निविदा पर निर्णय के तुरन्त पश्चात ऐसे निविदाकारों जिनको क्रयादेश/कार्यादेश दिया जाना प्रस्तावित नहीं है को धरोहर धनराशि बिना मांगे स्वयमेव वापस दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
6. धरोहर धनराशि पर फर्म का नाम तथा टेण्डर संख्या भी अवश्य अंकित हो जिसके अभाव में निविदा विचार योग्य नहीं होगी।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 63/भान सेल/ दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
3. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
4. समस्त महाप्रबंधक (लेखा), उप महाप्रबंधक (लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/समस्त वितरण निगम/केस्को।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक